

एक

नजर

बालों के बाद यातायात पुलिस ने गलकों का दी समझाइश



बीजापुर 12 फरवरी। स्कूली बच्चों का लाने ले जाने वाले आदो चालकों पर विहन बसों के साथ साथ गलत पार्किंग में खड़े चार पहिया वाहनों पर की गई चालानी कार्यवाही विगत दिनों कांकेर जिला में ट्रक एवं स्कूली बच्चों को ले जाने वाले आदो में हुई धीरण दुर्घटना को देखते हुये यातायात पुलिस द्वारा स्कूल/कॉलेजों में बच्चों/छात्रों को लाने जे जाने वाले आदो वेन चालकों को दी गई समझाईंगी। यातायात नियमों का पालन करते हुये नियमित गति सीमा में वाहन चलाने हेतु दी गई विहार। बीजापुर शहर में गलत पार्किंग पर खड़े चार पहिया वाहनों के खिलाफ भी कार्यवाही करते हुये भविष्य के लिये हादित दी गई।

अधिक दर पर स्टाम्प बेचने बालों पर होगी कार्टवाई

बीजापुर 12 फरवरी। बालान में न्यू पेंशन स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों का नाम है उसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए राज्य शासन द्वारा शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ स्टाम्प बैंडर, किंतु अनिनीस द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रस्म पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर एस्ट्रीलम श्री पवन कुमार प्रेमी ने लोगों को संदेश दिया है कि कर्मचारी इसकी शिकायत एसडीएम बीजापुर अथवा कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा में कर सकते हैं।

**कलेक्टर के निर्देश पर अमानक
प्लास्टिक का उपयोग करने वाले
दुकानदारों पर लगा जुर्माना**

दत्तेवाड़ा, 12 फरवरी। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक के उपयोग करने वाले दुकानदारों पर लगभग 20 हजार रुपये का जुर्माना एवं 21 किलो अमानक प्लास्टिक केरी बैग का उपयोग न करें। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी, जिसमें नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अब और कठीन कार्यवाही होगी। इस कार्यवाही में संवर्धित अनुभव के एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस के जवान शामिल थे।

**कोलाहल अधिनियम के तहत धनि
विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिवंश्य**

दत्तेवाड़ा, 12 फरवरी। दत्तेवाड़ा जिले में शायें एवं महाविलाय वारिक परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ होने से विवार्थियों के अध्ययन कार्य में व्यवहारन न हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ कलाहल नियत्रण अधिनियम 1985 की धारा 6(2) एवं 10(2) के साथ परिवर्ती भारतीय दंड प्रक्रिया सहित की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद द्वारा स्पूर्ण दाक्षिण्य बस्तर दत्तेवाड़ा जिले में आदेश जारी होने की विधि से 15 मई तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर धारा 2 कथे एवं के अंतर्गत परिवर्ती प्रतिवर्ती कानून आदेश जिले विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन/रात) के लिए प्रतिवंश्य लगाई जाती है।

उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। साथ ही अधिनियम की धारा 2 वार्षिक कार्यों का प्रयोग करते हुए धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुभियां दंडाधिकारी दत्तेवाड़ा की उनकी स्थानीय क्षेत्राधिकारी अंतर्गत निहित अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया जाता है।

जिले में कृषि मुक्त दिवस की शुरुआत

दत्तेवाड़ा, 12 फरवरी। जिले में कृषि मुक्त दिवस की शुरुआत आज शामकार्य जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र से बैंकों के अंगनबाड़ी वाले आदो चालकों के लिए आदेश अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुभियां दंडाधिकारी दत्तेवाड़ा की उनकी स्थानीय क्षेत्राधिकारी अंतर्गत निहित अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया जाता है।

जिले में इस विधीय वर्ष में 31 मार्च तक 15 लाख मानव दिवस सजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से वर्तमान में 76 प्रतिशत नारायण पुर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्तमान आदेश जिले के मनरेगा से जुड़े हैं।

जिले में इस विधीय वर्ष में 19 वर्ष से 31 वर्ष तक के बच्चों को अंगनबाड़ी केंद्र एवं स्कूलों में अल्बोंडा जोले की दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान छठे हुए बच्चों को माप अप राटड के दौरान 15 फरवरी की दवा खिलाई जाएगी।

भूपेश सरकार नक्सली हमले को दे रही बढ़ावा: जेपी नड्डा

भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से नक्सलियों का मुकाबला करेगी



जगदलपुर, 12 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भूपेश सरकार नक्सली हमले के बढ़ावा दे रही है। नड्डा बस्तर जिला मुख्यालय के लालबाग मैदान में आमसभा को सबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जगदलपुर आने से पहले बस्तरवासियों के दर्शन के लिए मन में बहुत सी उमंग थी लेकिन कल रात जो नारायणपुर में घटना घटी तो जाने वाले आदो वेन चालकों को दी गई समझाईंगी। यातायात नियमों का पालन करते हुये बच्चों/छात्रों को लाने जे जाने वाले आदो और उनसे दिल का लालबाग दिया, मन से प्रतिष्ठित हुआ, मन धूमित हुआ, इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो बस्तर आदो तो जरूर लेकिन जहां घटना घटी हुआ वहां भी पहुंचेंगे, और उनके परिवार के लोगों से मिलांगा और उनसे कहूंगा कि ये आपका बेटा आपका भाई यह अकेला नहीं है, इस लाईड में 18 करोड़ लोगों को पार्टी भाजपा उनके साथ खड़ी है और पूरी ताकत के लोगों से साथ खड़ी है।

अधिक दर पर स्टाम्प बेचने बालों पर होगी कार्टवाई

बीजापुर 12 फरवरी। बालान में न्यू पेंशन स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों का नाम है उसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए राज्य शासन द्वारा शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ स्टाम्प बैंडर, किंतु अनिनीस द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रस्म पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर एस्ट्रीलम श्री पवन कुमार प्रेमी ने लोगों को संदेश दिया है कि कर्मचारी इसकी शिकायत एसडीएम बीजापुर अथवा कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा में कर सकते हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना

बीजापुर 12 फरवरी। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक के उपयोग करने वाले दुकानदारों को एक जुर्माना लगा दिया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ स्टाम्प बैंडर, किंतु अनिनीस द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रस्म पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर एस्ट्रीलम श्री पवन कुमार प्रेमी ने लोगों को संदेश दिया है कि कर्मचारी इसकी शिकायत एसडीएम बीजापुर अथवा कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा में कर सकते हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना

बीजापुर 12 फरवरी। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक के उपयोग करने वाले दुकानदारों को एक जुर्माना लगा दिया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ स्टाम्प बैंडर, किंतु अनिनीस द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रस्म पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर एस्ट्रीलम श्री पवन कुमार प्रेमी ने लोगों को संदेश दिया है कि कर्मचारी इसकी शिकायत एसडीएम बीजापुर अथवा कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा में कर सकते हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना

बीजापुर 12 फरवरी। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक के उपयोग करने वाले दुकानदारों को एक जुर्माना लगा दिया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ स्टाम्प बैंडर, किंतु अनिनीस द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रस्म पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर एस्ट्रीलम श्री पवन कुमार प्रेमी ने लोगों को संदेश दिया है कि कर्मचारी इसकी शिकायत एसडीएम बीजापुर अथवा कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा में कर सकते हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना

बीजापुर 12 फरवरी। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के निर्देश पर अमानक प्लास्टिक के उपयोग करने वाले दुकानदारों को एक जुर्माना लगा दिया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के पास शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ स्टाम्प बैंडर, किंतु अनिनीस द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रस्म पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। इसके लिए बीजापुर एस्ट्रीलम श्री पवन कुमार प्रेमी ने लोगों को संदेश दिया है कि कर्मचारी इसकी शिकायत एसडीएम बीजापुर अथवा कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा में कर सकते हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर

